



LL - 2313

LL.M. (Part-II) Examination, 2017

(Branch-III)

**LAW OF INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL
PROPERTY**

Paper I

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

*Attempt any four questions. All questions carry
equal marks.*

*किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के
अंक समान हैं।*

1. Define Intellectual Property and discuss Intellectual Property Rights in international perspective.

बौद्धिक सम्पदा की परिभाषा दीजिए एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की विवेचना कीजिए।

2. Write an essay on legal regime of Unfair Trade Practice and of Intellectual Industrial Property.

LL-2313

(1)

P.T.O.

अनुचित व्यापार प्रथा एवं बौद्धिक औद्योगिक सम्पदा के विधिक शासन पर निबन्ध लिखिए।

3. Discuss the law relating to Biotechnology Patents.

जैवप्रौद्योगिकी एकाधिकार से सम्बन्धित कानून की विवेचना कीजिए।

4. Comment on the law of Trade Marks and Consumer Protection.

व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) एवं उपभोक्ता सुरक्षा के कानून पर टिप्पणी कीजिए।

5. Discuss the freedom of speech and expression as the basis of the regime of Intellectual Property Rights.

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के आधार के रूप में वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विवेचन कीजिए।

6. What are the evidentiary problems in piracy? Discuss in the light of TRIPS obligation.

चोरी (पाइरेसी) में कौन-कौन-सी साक्षिक समस्याएँ हैं? TRIPS बाध्यता के प्रकाश में विवेचना कीजिए।

7. Compare the special problems of the status of computer software in copyright and patent laws.

कॉपीराइट एवं पेटेंट कानूनों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की अवस्था की विशेष समस्याओं की तुलना कीजिए।

8. Write short notes on any two of the following:

- (a) Legal status of hazardous research
- (b) Rights of plant breeders under patent law
- (c) Legal requisites for grant of patent
- (d) Status of Intellectual Property transit

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- (a) खतरनाक अनुसंधान की विधिक स्थिति
- (b) पेटेंट कानून के अन्तर्गत प्लांट ब्रीडर्स के अधिकार
- (c) पेटेंट की प्राप्ति के लिए कानूनी आवश्यकता
- (d) बौद्धिक सम्पदा पारगमन की स्थिति

LL-2318

LL.M. (Part II) Examination, 2017

Branch-III

**LEGAL REGULATION OF ECONOMIC
ENTERPRISES INCLUDING EXPORT & IMPORT
REGULATION**

Paper-Second

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

*Attempt any four questions. All questions carry
equal marks.*

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के
अंक समान हैं।

1. What is the importance of consumerism ? Describe the emphasis of new economic policy on consumerism. [25]

उपभोक्तावाद का क्या महत्व है ? नवीन आर्थिक नीतियों का उपभोक्तावाद पर प्रभाव व बल देने का वर्णन कीजिए।

2. What is takeover of management ? Discuss the legal process to ensure the takeover of management and control of sick units. [25]

LL-2318

(1)

P.T.O.

प्रबंधन को अधिकार में लेना क्या है ? प्रबंधन को अधिकार में लेना एवं बीमार इकाईयों के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए विधिक प्रक्रिया का विवेचन कीजिए।

3. What do you mean by 'globalization'? Enumerate the merits and demerits of 'globalization' with special reference to Indian economy. [5+10+10]

‘वैश्वीकरण’ से क्या अभिप्राय है ? वैश्वीकरण के लाभों एवं हानियों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रगणित कीजिए।

4. Write an essay on export and import policy of India. [25]

भारत की आयात एवं निर्यात नीति पर एक निबंध लिखिए।

5. Explain the provisions of Appeal and revision as stated in Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992. [25]

विदेशी व्यापार विकास एवं रेशनलेशन अधिनियम, 1992 में उल्लिखित अपील एवं निगरानी संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

6. Write short notes on the following: [25]

(a) GDR

(b) ADR

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये :

(क) जी. डी. आर.

(ख) ए. डी. आर.

LL-2318 (2)

7. Explain critically the legal implications of Telecom Regulatory Authority of India on the growth of telecom sector. [25]

संचार क्रांति में टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथोरिटी ऑफ इण्डिया [TRAI] के विधिक महत्व का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

8. What do you mean by FDI ? Discuss its impact on economy policy of India ? [25]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है ? इसका भारत की अर्थ-नीति पर प्रभाव का विवेचन कीजिए।

LL-2318 (3)

LL-2322

LL.M. (Part II) Examination, 2017

Branch-III

BANKING LAW

Paper-Third

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Attempt any four questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Trace out the history of banking in England and India. Also discuss the scheme recommended by Nariman Committee relating to commercial banking.

इंग्लैंड एवं भारत के बैंकिंग इतिहास का वर्णन कीजिए। वाणिज्यिक बैंको के बारे में नरीमन समिति द्वारा अभिशंसित स्कीम की विवेचना कीजिए।

2. "The relation between banker and consumer is primarily that of a debtor and creditor". Discuss the relationship of banker and customer in relation to the above statement.

LL-2322

(1)

P.T.O

“बैंक तथा ग्राहकों का प्राथमिक संबंध ऋणदाता तथा ऋणी का है”
इस कथन के संबंध में बैंक तथा उसके ग्राहकों के मध्य सम्बंधों की
विवेचना कीजिये।

3. Discuss the statutory obligations of a bank towards a customer. What is banker's right of a general lien. Also discuss the special features of lien. Point out the exceptions to the right of lien.
एक ग्राहक के प्रति बैंक सांविधिक दायित्वों का वर्णन करें। बैंकर के सामान्य धारणाधिकार से आप क्या समझते हैं? बैंकर के धारणाधिकार के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करते हुये धारणाधिकार के अपवादों को भी बताइये।

4. Write short notes on the following:

- (a) E-banking
 - (b) Bank Draft
 - (c) Promissory Note
 - (d) Holder in due course
 - (e) Post dated cheque
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

- (क) ई-बैंकिंग
- (ख) बैंक ड्राफ्ट

- (ग) वचन पत्र
- (घ) सम्यक् अनुक्रम धारक
- (ङ) उत्तर तारीख चैक

5. Explain how the Reserve Bank of India exercises control over banks and other financial institutions under the Reserve Bank of India Act.
रिजर्व बैंक अधिनियम के अर्न्तगत रिजर्व बैंक बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण रखता है?

6. What is an endorsement ? Describe various types of endorsements ?
पुष्ठाकन क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पुष्ठाकनों की विवेचना कीजिए।

7. Write notes on the following:

- (a) Good lending principles
 - (b) Debt recovery Tribunal.
- निम्नलिखित पर नोट लिखें:

- (क) स्वस्थ ऋण प्रदान करने संबंधी सिद्धान्त
- (ख) ऋण वसूली अधिकरण

8. Write notes on the following :

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे:

- (a) The Central Bank**
- (b) Bank Nationalization**

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें:

- (क) केन्द्रीय बैंक**
 - (ख) बैंको का राष्ट्रीयकरण**
-

LL-2326

LL.M. (Part-II) Examination, 2017

Branch-III

INSURANCE LAW

Paper-Fourth

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Attempt any four questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Define life insurance. Give your views regarding its importance and necessity in modern age. Does a husband have insurable interest in his wife's life ? [5+15+5 = 25]

जीवन बीमा को परिभाषित कीजिए। वर्तमान समय में इस सन्दर्भ में इसकी महत्ता एवं आवश्यकता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्या पति अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित रखता है ?

LL-2326

(1)

P.T.O.

2. Explain the nature of contract of insurance. Distinguish between life insurance and other kinds of insurance.

[10+15=25]

बीमा संविदा की प्रकृति समझाइये। जीवन बीमा एवं अन्य प्रकार की बीमा संविदाओं में अन्तर कीजिए।

3. Write notes on the following:

[8+8+9=25]

- (a) Group life insurance scheme
(b) Mediclaim sickness insurance
(c) Nomination and assignment
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) समूह जीवन बीमा योजना

(ब) दवा दावे बीमारी बीमा

(स) नामांकन एवं इस्तीफा

4. Write short essay on public liability insurance.

[25]

लोक उत्तरदायित्व बीमा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये।

5. Define motor insurance and describe the various insurance policies available under the motor insurance in India.

[10+15=25]

मोटर बीमा का अर्थ समझाइये तथा भारत में मोटर बीमा की विभिन्न बीमा पालिसियों का वर्णन कीजिए।

6. Define an insurance agent and describe the legal provisions relating to the licensing of insurance agents under the insurance Act, 1938.

[10+15=25]

बीमा अभिकर्ता का अर्थ बताइये और बीमा अधिनियम 1938 के अन्तर्गत बीमा अभिकर्ताओं के अनुज्ञापन सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

7. Define the terms 'General Average' and 'Particular Average' under marine insurance and explain the procedure to claim the total loss.

[10+15=25]

सामुद्रिक बीमा के अन्तर्गत सामान्य औसत एवं विशेष औसत पदों को परिभाषित कीजिये तथा सम्पूर्ण हानि के लिये दावा करने की प्रक्रिया को समझाइये।

8. Write detailed note on any two of the following: [8+8+9=25]

(a) Salient features of Insurance regulatory authoring Act, 2000

(b) Salient features of personal injuries (compensation Insurance) Act, 1963

(c) Double insurance and reinsurance

निम्न में से किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए :

(अ) बीमा नियामक अधिकरण अधिनियम, 2000 के प्रमुख प्रावधान

(ब) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 के प्रमुख प्रावधान

(स) दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा

LL-2330

LL.M. (Part-II) Examination, 2017

Branch-III

CORPORATE FINANCE

Paper-V

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Attempt any four questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Discuss the concept of corporate finance and its objective in the perspective of entries 43, 44, 45, 46, 47, 85 & 86 of list I Union list of the constitution of India.

निगमित वित्त की संकल्पना को समझाइये तथा भारतीय संविधान की प्रथम सूची (list) की एन्ट्रीज (entries) 43, 44, 45, 46, 47, 85 & 86 के परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए इसके उद्देश्य को समझाइये।

2. Explain in detail the provisions relating to share capital, its alteration, increase and reduction and the procedure to be followed for these aspects.

शेयर कंपनी, इसमें फेर-बदल, बढ़ाना और घटाना और इनको प्रभावी करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधानों को विस्तार से समझाइये।

3. Define the term 'investment'. What are the provisions relating to inter-corporate loans and investments ? Discuss with exceptions provided if any.

'विनियोजन' से आप क्या समझते हैं ? इसकी परिभाषा दीजिए। अन्तर निगमित ऋणों एवं विनियोजन से सम्बन्धी क्या-क्या प्रावधान हैं ? अगर कोई अपवाद है तो उसे बताइये।

4. Explain in detail the provisions relating to debentures. Discuss all the aspect relating to debentures.

ऋणपत्रों से सम्बन्धित प्रावधानों को विस्तार से समझाइये। ऋणपत्रों से सम्बन्धित सभी पहलुओं को समझाइये।

5. Write detailed essay covering provisions relating to deposits, conditions for acceptance of deposits by companies and

consequences of violation of conditions for acceptance & acceptance of deposits from small depositors.

जमाओं सम्बन्धी प्रावधानों, कम्पनियों द्वारा जमा स्वीकार करने की शर्तें, इन शर्तों का पालन न करने के परिणाम एवं छोटे जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करने को शामिल करते हुए एक विस्तारित निबन्ध लिखिए।

6. "Though company laws has made provisions for protecting the interests of investors, depositors and creditors but still these category of persons are not satisfied with these protections". Put yourself in this category of persons and suggest what measures are required to be incorporated in the existing provisions to protect sufficiently their interest.

"यद्यपि कम्पनी विधि में विनियोजनकर्ताओं, जमाकर्ताओं एवं ऋण देने वालों के हितों की रक्षा के प्रावधान हैं लेकिन इस श्रेणी के लोग इन रक्षा के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं।" अपने आप को इन श्रेणी के व्यक्तियों में रखते हुए यह सुझाव दीजिये कि वर्तमान के प्रावधानों में इस श्रेणी के लोगों के हितों की रक्षा के लिये क्या-क्या प्रावधान और जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे इनके हितों की समुचित रक्षा की जा सके।

7. "Company law provides for administrative regulation on Corporate Finance through SEBI and RBI". Explain this statement any also suggest any amendment in these provisions to streamline the functioning.

“निगमित वित्त को प्रशासनिक नियमों (Regulations) को नियंत्रण करने के लिए SEBI (सेबी) एवं रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया को शक्तियाँ कम्पनी विधि में दी गई हैं।” इस कथन को समझाइये और इन प्रावधानों को और ज्यादा सुनियोजित करने के लिये अपने सुझाव दीजिये।

8. To make the work of company transparent particularly in accounting & finance, various provisions have been made in company laws. Critically analyse these provisions to make it more transparent.

कम्पनी के कार्य कलापों को पारदर्शी बनाने में विशेष रूप से आय-व्यय का लेखा और वित्त के मामले में कम्पनी विधि में कहाँ प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये जिससे इनमें और ज्यादा पारदर्शिता लायी जा सके।